के वारिसानों को इस जमींन को वापस करने हेतु अनुशंसा की गई है एवं इसी आधार पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 53(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त जमींन का लीज को रद्द किया गया है।

इस आदेश के विरूद्ध में आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में सी.डब्लू.जे.सी. नं. 4219/2000 दायर किया गया एवं उक्त वाद में पारित आदेश के आलोक में यह वाद प्रारंभ किया गया है जिसमें आवेदक को सुनकर आदेश पारित किये जाने का आदेश है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को उक्त जमींन 30 वर्षो के लिये लीज पर दिया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने लीज नवीकरण हेतु आवेदन दिया था किन्तु लीज को रद्द किया गया। उनका यह भी कहना है कि उक्त जमींन पर उनका दखल है अतः नवीकरण 30 वर्षो के लिये किया जाना चाहिए। उसपर उनका घर बना हुआ है एवं लीज की अवधि समाप्त होने पर उन्हें कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में Ultra virus घोषित किया गया है। अतः इस पर पुनः नवीकरण करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा ली गई लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं उसका नवीकरण आवेदन को तत्कालीन उपायुक्त द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में सी.डब्लू.जे.सी. नं0 4219/2000 दायर किया गया। जिसमें आवेदक को सुनकर आदेश पारित किये जाने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात आवेदक को सुना गया। आवेदक के अनुसार प्रश्नगत जमींन पर उनका मकान बना हुआ है एवं लीज प्राप्ति के समय धारा 53 की मान्यता थी, जब 30 वर्षो से लीज कायम है तो 30 वर्ष बाद उसे गलत ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। धारा 53 को Ultra virus Prospective Effect से किया गया है न कि Retrospective Effect से। साथ ही भूमि अधिग्रहण के पश्चात रैयतों को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदिका के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 04/2007–08

श्रीमती उमा सिन्हा उर्फ मीना सिन्हा ..... आवेदक

बनाम

सरकार ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

27/05/2016 यह रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 04/2007–08 श्रीमती उमा सिन्हा उर्फ मीना सिन्हा, पति स्व0 एच.एस. सिन्हा, सा0 डंगालपाड़ा, दुमका बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के सी.डब्लू.जे.सी. नं. 4219/2000 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2007 के आलोक में प्रारंभ किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है कि आवेदक को सुनकर छः माह के अन्दर आदेश पारित किया जाय।

मैंने उभय पक्षों को विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध तत्कालीन उपायुक्त, दुमका के आदेश सं0 60/2000 दिनांक 28.11.2000 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा पुराना दुमका, थाना नं0 10, अंचल दुमका के दाग सं0 903 रकवा 00–07–17 धूर एवं दाग सं0 904 रकवा 00–09–01 धूर कुल रकवा 00–16–18 धूर जमींन को आवेदक द्वारा एल.ए. केस नं0 51/1965–66 मे सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 53(2) के अन्तर्गत बसौड़ी हेतु अधिग्रहित की गई थी। यह अधिग्रहित जमींन जनवरी 1969 से 30 वर्षो के लिये आवेदक को सशर्त्त लीज पर दी गई थी। इस लीज को रद्द करने हेतु लखन मुर्मू प्रधान, जरूवाडीह, पुराना दुमका द्वारा दिनांक 17.01.1999 को एक आवेदन एवं दूसरा आवेदन दिनांक 17.01.1999 को बकाय मुर्मू एवं अन्य द्वारा दिया गया था। इस पर प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, दुमका द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को भूमिहीन के आधार पर उपर्युक्त जमींन अधिग्रहण कर लीज पर दिया गया था किन्तु वास्तव में वह भूमिहीन नहीं है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि यह जमींन घर बनाने हेतु अधिग्रहित कर पट्टे पर उन्हें दी गई थी, किन्तु उनके द्वारा यह जमींन वास्तव में घर बनाने की मंशा से नहीं ली गई थी बल्कि किसी अन्य मंशा से ली गई थी। प्रश्नगत संथालों की जमींन 30 वर्षो के लिये लीज पर दी गई थी एवं लीज की अवधि 31.12.1999 को ही समाप्त हो गई है। उन्होंने सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त जमींन के लीज को रद्द करते हुए जमाबन्दी रैयतों